# कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2387 /FP/UK/WATER/43413/2019 :देहरादूनः 07 अप्रैल, 2022.

सेवा में,

सचिव,
वन अनुभाग–3,
उत्तराखण्ड शासन

विषयः– जनपद देहरादून के विकासखण्ड रायपुर के अन्तर्गत ग्राम चन्द्रबनी खालसा एवं चन्द्रबनी ग्रान्ट में पित्थूवाला तोक समूह पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.03 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पेयजल निगम को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।
(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/WATER/43413/2019)

संदर्भः– सचिव वन अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 1452/X-3-21/02(34)/2021 दिनांक 01.12.2021.

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयॉकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के पत्रांक 3246/12–1 दिनांक 26.03.2022 (प्रति सलंग्न) के द्वारा बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही हैः–

| S.N. | Observation | Compliance |
|---|---|---|
| 1. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण व 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जाएगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण व 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि चालान के माध्यम से जमा कर दी गयी है। (संलग्न–1) |
| 2. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि जमा कर दी गयी है। (संलग्न–2) |
| 3. | प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत किया गया हैं कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। |
| 4 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धक तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–1100033 में जमा करने के उपरान्त पावती की छायाप्रति जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दु संख्या (4) के अनुपालन में सभी शर्तो को मानते हुये जमा की गयी धनराशि की पावती एवं बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति प्रेषित की जा रही है। (संलग्न–3) |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। |
| 6 | प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया गया है। | प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनुपालन किया जायेगा। |
| 7 | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अनुपालन किया जायेगा। |
| 8 | प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार गलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार सामयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। गलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अनुपालन किया जायेगा। |
| 9 | प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी। | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अनुपालन किया जायेगा। |

अतः विषयांकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

**संलग्नः–यथोपरि**

भवदीय,

3/4/22

(बी0 पी0 गुप्ता)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

**संख्या :– 2387 / FP/UK/WATER/43413/2019 तद्दिनांकित।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. वन सरंक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून उत्तराखण्ड।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

3/4/22

(बी0 पी0 गुप्ता)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी